3

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी (**मांगी लाल**) आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः- 251 क(1) आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः 371/2024

अमीचंद पुत्र श्री भैंराराम जाति मेघवाल, निवासी डबली कलां हाल आई/217, न्यू सिविल लाईन, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

-:प्रार्थी

बनाम्

1 बालूराम पुत्र श्री भैंराराम, जाति मेघवाल निवासी डबली कलां, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र सहारण - अधिवक्ता प्रार्थी
2. सुरेश कुमार झाझडिया - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार - अप्रार्थी सं. 3

-::निर्णय::-

दिनांक 26.12.2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री सुरेन्द्र सहारण सिंह बराड़ द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी काश्तकारी पेशा है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि चक 6 आरपी तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 4/6 पत्थर नंबर 172/358 मुरब्बा नंबर 17 किला नंबर 14, 17, 24 व पत्थर नंबर 172/359 मुरब्बा नंबर 18 के किला नंबर 2 से 4 कुल तादादी 1.518 हैक्टेयर कमाण्ड दर्ज राजस्व अभिलेख है। जमाबन्दी की प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के चिपते ही अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक 6 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 45/42 के पत्थर नंबर 172/358 मुरब्बा नंबर 17, किला नंबर 16, 25, पत्थर नंबर 172/359 मुरब्बा नंबर 18 किला नंबर 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी की प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने के लिए मंजूर शुदा रास्ता से होकर अप्रार्थी सख्या 1 की कृषि भूमि के पत्थर नंबर 172/359 (18) किला नबर 5 में दक्षिणी तरफ होकर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के पत्थर नंबर 172/359 (18) किला नबर 4 में प्रवेश करता है। इसके अलावा प्रार्थी की कृषि भूमि में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि के पत्थर नंबर 172/359 (18) किला नबर 5 में दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.015 है0 अर्थात् 10 फुट चौड़ा व 1 बीघा लम्बा रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है तथा यह रास्ता प्रार्थी स्वीकृत करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

यह कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि में फसल काश्त की हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 गत सप्ताह से प्रार्थी के उक्त रास्ता के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि वह उक्त रास्ता को स्वीकृत करवा देवें। प्रार्थी रास्ता में आने वाली भूमि के बदले अपनी भूमि देने के लिए तैयार है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को निवेदन को ठुकरा दिया और प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु पत्थर नंबर 172/359 (18) किला नबर 5 में दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.015 है0 अर्थात् 10 फुट चौड़ा 1 बीघा लम्बा चल रहे रास्ता को बन्द करने व प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में फसल काश्त की हुई है, यदि अप्रार्थी संख्या 1 पत्थर नंबर 172/359 (18) किला नबर 5 में दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.015 है0 अर्थात् 10 फुट चौड़ा 1 बीघा लम्बा चल रहे रास्ता को बन्द कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी व काश्त न होने के कारण प्रार्थी की भूमि बंजर हो जायेगी।

यह कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है। प्रार्थी उक्त रास्ता के बदले अपनी खातेदारी कृषि भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के चिपते है, में से भूमि देने के लिए तैयार है। अर्सा तीन दिवस पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि वह पत्थर नंबर 172/359 (18) किला नबर 5 में दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.015 है0 अर्थात् 10 फुट चौड़ा 1 बीघा लम्बा रास्ता मंजूर करवा देवें तो अप्रार्थी संख्या 1 इन्कार हो गई। यही वाद कारण है।

यह कि प्रार्थी धारा 251-ए के तहत माननीय न्यायालय द्वारा पारित इस रास्ता की एवज में भूमि/डीएलसी दर की दुगुनी राशि देने के लिए तैयार व तत्पर है।

यह कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीया संख्या 1 की खातेदारी भूमि चक 6 आरपी तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 172/359 (18) किला नबर 5 में दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.015 है0 अर्थात् 10 फुट चौड़ा 1 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश उपस्थित व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें लैंड के बदले लैंड दिये जाने पर रास्ता स्वीकृति में सहमति प्रदान की है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट नहीं तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 **रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।**
2 **वैकल्पिक रास्ते का अभाव।**
3 **नया मार्ग लघुतम रूट से हो।**

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा उक्त प्रस्तावित रास्ता के बदले अप्रार्थी सं. 1 सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता से सुगमता से प्रार्थी अपनी जोत तक पहूंच सकता है। प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (1) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा के प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता से ही अपनी खातेदारी जोत तक प्रार्थी पहूंच सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(1) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है किः-

-:क्रिन्याविति आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 6 आरपी तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 172/359 (18) किला नबर 5 में दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.015 हैक्टेयर अर्थात् 10 फुट चौड़ा व 1 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत किये गये रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थी की खातेदारी भूमि प.न. 172/358 मु.न. 17 कि.न. 24 पूर्वी दिशा में अप्रार्थी की भूमि के चिपते 0.015 हैक्टेयर भूमि कम की जाकर अप्रार्थी सं. 1 बालूराम को 0.015 हैक्ठेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्वा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ